

### अनुबंध-3

वर्तमान भर्ती नियमों में संशोधन प्रस्तावित करते समय सं. लो. से. आ. को प्रस्ताव अग्रेषित करने के दौरान मंत्रालय / विभाग द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र

1.	पद का नाम	
2.	मंत्रालय / विभाग का नाम	
3.	संदर्भ सं. जिसके अन्तर्गत भर्ती नियमों पर आयोग का परामर्श संसूचित किया गया ।	
4.	मूल नियमावली और अनुवर्ती संशोधनों की अधिसूचना की तारीख (मूल नियमावली और अनुवर्ती संशोधनों की प्रति विधिवत पताका लगाकर एवं संदर्भित करके संलग्न की जानी चाहिए)	

क्रम सं.	नाम	विद्यमान / अनुमोदित नियमावली में प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	संशोधन प्रस्तावित करने के कारण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	पद का नाम			
2.	पदों की संख्या			
3.	वर्गीकरण			
4.	वेतनमान			
5.	चयन या गैर- चयन			
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा			
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं			
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति के लिए लागू होगी ।			
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।			
10.	क्या भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।			
11.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है ।			
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, इसका गठन क्या है?			

13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय सं. लो. से आ. से परामर्श किया जाना है ।			
-----	---	--	--	--